रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 678] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 902(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित का अधिक्रमण करते हुए :–

(i) दक्षिणी क्षेत्र, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती नियम, 1985, को जहां तक उनका संबंध मोटर ड्राईवर, बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रीशियन)–2 तथा मेट के पदों से है।

(ii) उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (उपकरण मैकेनिक और विश्लेषक/सांख्यिकीय सहायकद्ध भर्ती नियम, 1985, को जहां तक उनका संबंध उपकरण मैकेनिक के पद से है।

(iii) उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (कृषि एवं सहकारिता विभागद्ध (समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1989, को जहां तक उनका संबंध प्रशिक्षण सहायक, कलाकार–सह–फोटोग्राफर, नक्शानवीस श्रेणी–2, कृषि सहायक, तकनीशियन–I, तकनीशियन–II, तकनीशियन–III, तकनीशियन–IV, वैल्डर, लोहार–II, मशीनमैन, बढ़ई–III, ऑयल इंजन ड्राईवर, मोटर ड्राईवर, बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रीशियन) तथा मेट–II, के पदों से है।

(iv) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1990, को जहां तक उनका संबंध तकनीशियन–IV पद से है।

(v) दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गार्लेदिन्ने, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1995, को जहां तक उनका संबंध कृषि सहायक, बिजली मिस्त्री–1, नलकूप आपरेटर तथा ट्रैक्टर ड्राईवर के पदों से है;

(vi) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी, (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000, को जहां तक उनका संबंध फोरमेन (विद्युत), कृषि सहायक, ज्येष्ठ तकनीशियन, तकनीशियन, बिजली मिस्त्री श्रेणी–1, उपकरण मैकेनिक–I, तेल इंजिन चालक, मोटर ड्राईवर, बढ़ई, वैल्डर तथा कनिष्ठ तकनीशियन के पदों से है।

(vii) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बिस्वानाथ चारियाली समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2005;

(viii) कृषि एवं सहकारिता विभाग, दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), (तकनीशियन तथा प्रशिक्षण सहायक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007;

उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग के फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में, समूह 'ग', तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.–ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.–उत्तर–पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के ज्ञापन सं. 2–9/2010–स्था, तारीख 13 अगस्त, 2010, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के ज्ञापन सं. 2–3/90–पी.एफ–1677 तारीख 19 मार्च, 2013 और 1–1/2008–स्था., तारीख 25 फरवरी, 2009 और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के ज्ञापन सं. 2–3/2010–स्था./674/675, तारीख, 22 जुलाई, 2010 के अनुसरण में कृषि सहायक, प्रशिक्षक आपरेटर और बिजली मिस्त्री का पद धारण करने वाले पदधारियों तथा मोटर ड्राईवर को अब क्रमशः ज्येष्ठ तकनीशियन और तकनीशियन के रूप में पुनः नाम निर्दिष्ट किया गया है और उनको इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उनके द्वारा इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले उस पद पर की गयी निरंतर सेवा प्रोन्नति और परीवीक्षा के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा हेतु हिसाब में ली जाएगी।

6. निरर्हरता.–वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.तकनीकी सहायक	19* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200–20200/– रुपये + ग्रेड वेतन 2800/– रुपये	चयन	आयु 18–27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित

					की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किऐ जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से कृषि इंजिनियरी में डिप्लोमा के साथ सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।	आयु — नहीं। शैक्षिक अहर्ताएं — हां।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड—1; 5200—20200/— रुपये + ग्रेड वेतन 2400/— रुपये में से ऐसे ज्येष्ठ तकनीशियन जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखिखित होंगे:— (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. नक्शानवीस श्रेणी—2	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड —1, 5200—20200/— रुपये + ग्रेड वेतन 2800/— रुपये	लागू नहीं होता।	आयु 18—27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 :— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में

					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 :– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से नक्शानवीस (मैकेनिकल) में डिप्लोमा के साथ सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत अथवा कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्धसरकारी संगठनो के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है, में से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कृषि सहायक	4* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200–20200/– रुपये + ग्रेड वेतन 2400/– रुपये	लागू नहीं होता।	आयु 18–27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1ः आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2ः आयु–सीमा अवधारित करने के

					लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञाप्ति की जायेगी. (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में बैचलर डिग्री।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत अथवा कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों के अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः— (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान — सदस्य.	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. ज्येष्ठ तकनीशियन	47* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड — 1, 5200—20200/— रुपये + ग्रेड वेतन 2400/— रुपये	लागू नहीं होता।	आयु 18—27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उप—खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2: आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी. (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क)(i) ट्रैक्टर मैकेनिक या फार्म मैकेनिक या डीज़ल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक या आटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड या बिजली मिस्त्री में डिप्लोमा;	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) ट्रैक्टर या भारी परिवहन यान या भारी मिट्टी हटाने वाले उपस्कर के प्रचालन अथवा रख–रखाव या विद्युत रख–रखाव में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ख) हल्के और भारी यान तथा ट्रैक्टर के चालन की वैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड–1; 5200–20200/– रुपये + ग्रेड वेतन 1900/– रूपये में से ऐसे तकनीशियन जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य। (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. तकनीशियन	21* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200–20200/– रुपये + ग्रेड वेतन 1900/– रुपये	लागू नहीं होता।	आयु 18–27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी. (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उप–खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से विद्युत ट्रेड या डीज़ल मैकेनिक ट्रेड या ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड या मोटर मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त वर्णित ट्रेडों में से किसी में भी तीन वर्ष का अनुभव तथा यानों व ट्रैक्टरों के चालन तथा रख–रखाव में प्रवीणता होनी चाहिए तथा हल्के और भारी कार्य यानों और ट्रैक्टर के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; या (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से विद्युत या इलैक्ट्रॉनिक या उपकरण मैकेनिक में प्रमाण पत्र के साथ आटो विद्युत या उपकरणों या इलैक्ट्रॉनिक्स रखरखाव में तीन वर्षों का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हां	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	(i) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड–1; 5200–20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1800 रुपये में से ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (तकनीकी) और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (गैर–तकनीकी) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिये पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड या पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के सन्दर्भ में तैयार की जायेगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान –सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (तकनीकी)	15* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुनसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200–20200/– रुपये + ग्रेड वेतन 1800/– रुपये	लागू नहीं होता।	आयु 18–27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

					टिप्पण 1: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उप–खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से ट्रैक्टर मैकेनिक या फार्म मैकेनिक या डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र; (ii) ट्रैक्टर चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति रखता हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य।	लागू नहीं होता।

व्याख्यात्मक टिप्पण : ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे। तथापि, विद्यमान पदधारी की सेवा को नियमित करने को ध्यान में रखते हुए नियम 5 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 के भूतलक्षी प्रभावी होने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

[फा. सं. 13–3/2012–एम. और टी. (प्रशा.)]

एच. के. सुअंतथंग, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

G.S.R. 902(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the:—

(i) Southern Region, Farm Machinery Training and Testing Institute Anantpur, Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the posts of Motor Driver, Electrician-II and Mate;

(ii) Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Instrument Mechanic and Analyst / Statistical Assistant) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Instrument Mechanic ;

(iii) Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Department of Agriculture and Cooperation) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Training Assistant, Artist-cum-Photographer, Draughtsman Grade II, Agricultural Assistant, Technician-I, Technician-II, Technician-III, Technician-IV, Welder, Blacksmith-II, Machineman, Carpenter-III, Oil Engine Driver, Motor Driver, Electrician and Mate-II;

(iv) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni, (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Technician-IV;

(v) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne, Anantapur (Andhra Pradesh) Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the posts of Agricultural Assistant, Electrician-I, Tubewell Operator and Tractor Driver;

(vi) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni, (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Foreman (Electrical), Agricultural Assistant, Senior Technician, Technician, Electrician Grade I, Instrument Mechanic-I, Oil Engine Driver, Motor Driver, Carpenter, Welder and Junior Technician;

(vii) North-Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Biswanath Chariali, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2005;

(viii) Department of Agriculture & Cooperation, Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (Andhra Pradesh), (Technician and Training Assistant) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2007,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', technical posts in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.–** The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial Constitution.–** The incumbents holding the posts of Agricultural Assistant, Trainer Operator and Electrician now re-designated as Senior Technician and Motor Driver now re-designated as Technician on regular basis in pursuance of North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Memorandum No.2-9/2010-Estt., dated the 13th August, 2010, North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute Memoranda numbers 2-3/90-PF-1677, dated the 19th March, 2013 and 1-1/2008-Estt., dated the 25th February, 2009 and North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Memorandum No.2-3/2010-Estt./674/675, dated the 22nd July, 2010, respectively, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their continuous service in the post immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for probation and promotion.

6. **Disqualification.–** No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Technical Assistant	19* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2800/-	Selection.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Diploma in Agricultural Engineering from a recognised Institute or University with five years experience in the relevant field.	Age –No. Educational qualifications – Yes.	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion; (ii) 50% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Technician in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- with five years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay-scale extended based on the recommendations of the Commission.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Draughtsman Grade II	1* (2014). * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2800/-	Not applicable	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for

					those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognised Institute or University with five years' experience in the relevant field.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union Territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-Government organisations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Agricultural Assistant.	4* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-.	Not applicable	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

					Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.)

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's Degree in Agriculture from a recognised University.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union Territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-Government organisations possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Technician.	47* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-.	Not applicable	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
(A) (I) Diploma in Tractor Mechanic or Farm Mechanic or Diesel Mechanic or Motor Mechanic or Automobile Mechanic trade or Electrician; (II) three years' experience in operation and maintenance of tractor or heavy transport vehicle or heavy earthmoving equipments or electrical maintenance; and (B) possessing valid driving license of light and heavy duty vehicle and tractor.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) 25% by promotion; (ii) 75% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Technician in the pay band – 1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 1900/- having eight years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay-scale extended based on the recommendations of the Commission.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Technician.	21* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/-.	Not applicable.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar

					Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical trade or Diesel Mechanic trade or Motor Mechanic trade or Tractor Mechanic trade with three years experience in any of the trades mentioned above and proficiency in driving and maintenance of vehicles and tractors and should possess a valid driving licence for light and heavy duty vehicles and tractors; or (ii) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical or Electronic or Instrument Mechanic with three years experience in auto electrical or instruments or electronics maintenance.	Age : No Qualification: Yes.	Two years for direct recruits.	(i) 33.33% by promotion ; (ii) 66.67% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff (Technical) and Multi-Tasking Staff (Non-Technical) in the pay band 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 having three years' regular service in the grade possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay-scale extended based on the recommendations of the Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Multi-Tasking Staff (Technical).	15* (2014) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/ plus grade pay of Rs. 1800.	Not applicable.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Tractor Mechanic or Farm Mechanic or Diesel Mechanic; and (ii) possessing valid driving license of tractor.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

Explanatory Note: These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. However, rule 5 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the services of the existing incumbents and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, no one is likely to be adversely affected.

[F. No. 13-3/2012-M&T (Admn.)]

H. K. SUANTHANG, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.